GAD
8/3/17

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / पेंशन–अ / 34928 / 09 / दिनांक 11.01.2017

: : परिपत्र : :

विषय :– अधिकारी / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जानें के सम्बन्ध में ।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 द्वारा राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियो के स्थानान्तरण / पदस्थापन में कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) देय नहीं होगी, के संदर्भ में पूर्व प्रसारित आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलोच्य आदेशो में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम–1981 नियम 4 (1) के प्रावधानो के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञेय होगा।
2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नहीं किये जाने वाले स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रकरणो में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम–1971 के प्रावधानो के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं राज्य हित में किये गये स्थानांन्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7 (3) FD (Rules)/98 Dated 02.08.2005 & F.12 (6) FD (Rules)/05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / पेंशन–अ / 34928 / 09 / दिनांक 11.01.2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक शिक्षा ।
3. अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारियों को ई–मेल सुनिश्चित करें।
4. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन "ए–बी" / सी / एफ / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5. अनुभाग अधिकारी, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशन हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर